भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 [भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) संशोधित नियमावली, 2018 द्वारा यथा संशोधित]

भाग	विषय सूची
भाग I	प्रस्तावना
भाग II	भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009
भाग III	क्रियाविधि का ज्ञापन
भाग IV	अनुबंध - I
भाग V	अनुबंध - II (सुरक्षा विशेषताएं)

भाग I
प्रस्तावना

रिज़र्व बैंक अपने सभी निर्गम कार्यालयों तथा बैंकों की शाखाओं में कटे-फटे और विरूपित नोट बदलने की सुविधा जनता को प्रदान करता है। नोट वापसी नियमावली को समझने एवं उसके प्रयोग को आसान बनाने के लिए, इन नियमों में व्यापक स्तर पर संशोधन कर उन्हें सरल बनाया गया है । यह भी निर्णय लिया गया है कि शाखा का कोई भी अधिकारी संबंधित शाखा में प्रस्तुत कटे-फटे नोटों का अधिनिर्णय कर सकता है। यह आशा की जाती है कि नियमों का सरलीकरण और उदारीकरण निर्दिष्ट अधिकारी एवं विरूपित नोटों के प्रस्तुतकर्ता, दोनों के लिए, संशोधित नियमावली को समझने और निर्दिष्ट अधिकारी को इसे निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए सहायक होगा ।

गंदे, कटे-फटे एवं दोषपूर्ण नोटों के विनिमय की सुविधा, सभी बैंकों द्वारा उनकी सभी शाखाओं में प्रदान की जानी है | जनता के प्रति समग्र रूप से पूरी बैंकिंग प्रणाली की यह एक जिम्मेदारी है। यह कहना अनावश्यक है कि भारतीय रिज़र्व बैंक नोट वापसी नियमावली के सरलीकरण और उसके विस्तार का उद्देश्य आम जनता को उनके कटे-फटे नोटों को बिना किसी कठिनाई के विनिमय में सहायता करना है। बैंक शाखाओं को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सुविधा सामान्य रुप से आम जनता के हित के लिए प्रदान की जाए और किसी व्यक्तिसमूह द्वारा इसका अतिक्रमण न होने पाए।

इस पुस्तिका में योजना के अंतर्गत पालन किये जाने वाले नियम और अपनायी जानेवाली क्रियाविधि सम्मिलित है। शीघ्र और आसानी से बोध हो सके, इसके लिए महत्वपूर्ण नियम परिवर्तित किये गये हैं । कटे-फटे नोट स्वीकार करने, उनका अधिनिर्णय और भुगतान करने, के संबंध में शाखाओं द्वारा अपनायी जानेवाली क्रियाविधि इस पुस्तिका में दी गयी है। इस संबंध में आगे दिए जानेवाले अनुदेश, इस पुस्तिका के संदर्भ में होंगे और बैंकों की शाखाएं, पुस्तिका में आवश्यक संशोधन करते हुए इसे अद्यतन करेंगी। यदि इस योजना के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहिए हो तो उसके बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में निर्गम विभागों को या प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, मुद्रा प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को लिखा जाये। कृपया ई-मेल भेजने के लिए यहां क्लिक करें ।

भाग II
भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009

अ) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंध:

धारा 28: किसी अधिनियमित या विधि-नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक से किसी खोये हुए, चोरी किये गये, विकृत या अपूर्ण करेन्सी-नोट या बैंक-नोट का मूल्य अधिकारेण प्रत्युद्धृत करने का हकदार नहीं होगा, परन्तु रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से वे परिस्थितियाँ जिनमें वो शर्ते और परिसीमाएँ विहित कर सकेगा, जिनके अधीन, ऐसे करेन्सी-नोटों या बैंक-नोटों का मूल्य अनुग्रह स्वरूप प्रतिदत्त किया जा सकेगा, और इस परन्तुक के अधीन बनाये गये नियम संसद के पटल पर रखे जायेंगे।

धारा 58(1): केन्द्रीय बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभाव देने के लिए जिन विषयों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या सुविधाजनक है उन सबके लिए ऐसे विनियम, जो अधिनियम से संगत हैं, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा।

धारा 58(2): विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात :-

(क) .....
(ख) .....
(ग) .....
.....
(थ) वे परिस्थितियाँ जिनमें एवं वो शर्ते और परिसीमाएँ जिनके अधीन भारत सरकार के किसी खोये, चोरी हो गये, विकृत या अपूर्ण करेन्सी नोट या बैंक-नोट का मूल्य प्रतिदत्त किया जा सकेगा।

ब) नोट वापसी नियमावली

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (थ) तथा उपधारा (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 28 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 1975 के अधिक्रमण, करने इस तथा इससे पहले की गयी या करने के लिए छोड़ दी गयी बातों को छोड़कर, भारतीय रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय निदेशक बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से इसके द्वारा उन परिस्थितियों तथा उन शर्तो और सीमाओं को निर्धारित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाता है, जिनके अंतर्गत खोये, अपूर्ण या कटे-फटे नोटों का मूल्य अनुग्रह के रुप में वापस किया जा सकता है अर्थात

1. लघु शीर्ष, प्रयोग और प्रारंभ :-

(1) इन नियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली 2009 कहा जायेगा ।

(2) ये नियम, उस नोट के लिए लागू होंगे, जो बैंक के समक्ष उसकी प्रस्तुति की तारीख पर वैध मुद्रा है ।

(3) ये सरकार के राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख पर अमल में आयेंगे ।

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में जब तक इस संदर्भ को अन्यथा आवश्यक नहीं माना जाता :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 की धारा 2) है;

(ख) "बैंक़" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 द्वारा गठित भारतीय रिज़र्व बैंक से है;

(ग) "बैंक नोट" से अभिप्राय बैंक द्वारा जारी किये गये किसी नोट से है, परन्तु उसमें एक रुपये का नोट जिसे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक सेवा विभाग द्वारा जारी 28 मार्च 1980 की अधिसूचना सं.जी.एल.आर. 426 के अनुसार बैंक नोट माना गया है, के अलावा अन्य सरकारी नोट सम्मिलित नहीं है;

(घ) "आवश्यक लक्षणों" से अभिप्राय सुरक्षा विशेषताओं सहित उन लक्षणों से है जो किसी नोट की पहचान के लिए आवश्यक हैं, अर्थात्:-

i. जारी करने वाले प्राधिकारी अर्थात् यथास्थिति, भारतीय रिज़र्व बैंक या भारत सरकार का नाम हिन्दी या अंग्रेजी में;
ii. प्रतिभूति (गारंटी) खंड हिन्दी और/या अंग्रेजी में;
iii. वचन खंड हिन्दी और/या अंग्रेजी में;
iv. हस्ताक्षर हिन्दी और/या अंग्रेजी में;
v. यथास्थिति अशोक स्तम्भ का चिह्न या महात्मा गांधी की प्रतिमा; और
vi. यथास्थिति अशोक स्तंभ या महात्मा गांधी की प्रतिमा के प्रतीक का जलचिह्न (वाटरमार्क)

स्पष्टीकरण : इस खंड के उद्देश्यों के लिए -

(क) नोट की वास्तविकता या अन्यथा निर्धारण करने के लिए, निम्नलिखित सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं;

i. कागज की गुणवत्ता
ii. संख्या पटल की संख्याओं का माप एवं आकार
iii. सुरक्षा धागा
iv. उभारदार (intaglio) मुद्रण
v. ऊर्ध्वाधर पट्टी में अप्रकट छवि
vi. इलेक्ट्रोटाईप जलचिन्ह् (वॉटरमार्क विंडो में)
vii. सूक्ष्म लेखन (मायक्रोलेटेरिंग)
viii. चमकीलापन (संख्या पटलों और मुख्य मध्य पट्टी)
ix. प्रकाश में परिवर्तनीय स्याही
x. दोनों ओर छपे चिह्नों का सटीक मेल
xi. बैंक द्वारा भविष्य में कोई अन्य सुरक्षा विशेषता

(ख) नोट की आवश्यक विशेषताएं, नियत अधिकारी को किसी कटे-फटे नोट की वास्तविकता या अन्यथा निर्धारण करने में सहायता की दृष्टि से बतलाई गयी हैं;

(ड.) "सरकारी नोट" से अभिप्राय उस नोट से है, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अथवा भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया हो और बैंक ने उसे जारी किया हो, बशर्ते ऐसे नोट के संबंध में मूल्य की अदायगी की देयता बैंक पर डाल दी गयी हो और बैंक ने ले ली हो ।

(च) "अपूर्ण नोट" से अभिप्राय ऐसे किसी नोट से है, जो पूर्णत: या अंशत: विरूपित, सिकुड़ा हुआ, गीले होने के कारण फीका हुआ, परिवर्तित या अस्पष्ट हो, परंतु इसमें कटा-फटा नोट सम्मिलित नहीं है ।

(छ) "कटे-फटे नोट" से अभिप्राय ऐसा नोट से है जिसका एक भाग न हो या जो दो टुकडों से अधिक टुकड़ों को जोडकर बनाया गया हो;

(ज) "बेमेल नोट" से अभिप्राय ऐसे कटे-फटे नोट से है जो किसी एक नोट के आधे भाग को किसी दूसरे नोट के आधे भाग में जोड़कर बनाया गया हो ।

स्पष्टीकरण: इस संबंध में संदेह को दूर करने के लिए एतद द्वारा यह बताया जाता है कि बेमेल नोट की पहचान संख्या, हस्ताक्षर आदि और / या अन्य सुरक्षा विशेषताओं की जांच करने के बाद की जा सकती है;

(झ) "नोट" से बैंक नोट या सरकारी नोट अभिप्रेरित है:

(ञ) "निर्दिष्ट अधिकारी" से अभिप्राय बैंक के निर्गम विभाग के किसी अधिकारी या इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा, करार के माध्यम से, उस के किसी एजेंट/नामित बैंक का कोई अधिकारी जिसे नोट वापसी नियमावली के अंतर्गत अधिनिर्णय हेतु कटे-फटे नोटों को स्वीकारने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

(ट) "गंदे नोट" से अभिप्राय ऐसे नोट से है, जो प्रयोग के कारण गंदा हुआ हो और इसमें आपस में जुडे दो टुकडे नोट भी शामिल है जहाँ प्रस्तुत किये गये दोनो टुकड़े एक ही नोट के हो और इस तरह पूर्ण नोट बनाते हों।

इसमें प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्ति जिन्हे यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम (ऐक्ट) में वे परिभाषित हैं उनके लिए वही अर्थ निहित होंगे जैसा कि अधिनियम में है।

3. कटे-फटे नोट के अधिनिर्णय से संबंधित निर्णय - कटे-फटे नोट के अधिनिर्णय के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो उसे निर्णय के लिए 'बैंक' को भेजना चाहिए और इसका निर्णय दावेदार, उसके नामिती और उत्तराधिकारियों के लिए बाध्यकारी होगा ।

4. दावे की प्रस्तुति और निपटान - किसी भी नोट के संबंध में दावा, इन नियमों के अंतर्गत अधिनिर्णय एवं मूल्य के भुगतान के लिए निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ।

5. जानकारी मांगने या जांच करने का अधिकार - निर्दिष्ट अधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो, इन नियमों के अंतर्गत उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये किसी दावे के संबंध में कोई जानकारी मांग सकता है या जांच कर सकता है, और जहाँ नोट की वास्तविकता संदिग्ध हो, तो ऐसे संदिग्ध नोट को वह

विशेषज्ञ मत के लिए महाप्रबंधक, करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड या इस उद्देश्य के लिए लागू किसी विधि के अंतर्गत यथानामित किसी अन्य प्राधिकारी के पास भेजेगा।

6. सभी दावों के सम्बन्ध में सामान्य उपबंध -

(1) किसी ऐसे नोट, जो चोरी हो गया है, खो गया है, या पूर्णत: नष्ट हो गया हो, के संबंध में कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा ।

(2) निर्दिष्ट अधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट हो कि उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया कटा - फटा नोट भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में निरस्त (रद्द) किया जा चुका प्रतीत हो अथवा किये गये दावे का भुगतान इन नियमों के अन्तर्गत पहले ही किया जा चुका प्रतीत हो तो वह, उपर्युक्त नियम 5 के अंतर्गत पूछताछ के पश्चात्, ऐसे नोट पर किये गये दावे का भुगतान करने से मना कर सकता है।

(3) उस नोट के संबंध में दावा जिसे -

i. निश्चित रूप से ऐसे वास्तविक नोट के रूप में नहीं पहचाना जा सके जिसका दायित्व अधिनियम के अंतर्गत बैंक पर है ।
ii. अपूर्ण बनाया गया हो या इस उद्देश्य से काटा-फाड़ा गया हो कि वह उच्चतर मूल्य वर्ग का प्रतीत हो या इन नियमों के अंतर्गत या अन्यथा झूठा दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से या बैंक या जनता को धोखा देने के लिए जान-बूझकर काटा-फाड़ा गया हो, विकृत किया गया हो, परिवर्तित किया गया हो या किसी अन्य तरीके से उस पर कार्रवाई की गयी हो; यह आवश्यक नहीं है कि दावेदार ने स्वयं ऐसा किया हो।
iii. जिसपर आपत्तिजनक शब्द लिखे हों या किसी राजनीतिक या धार्मिक स्वरूप का संदेश देने या देने में सक्षम भाव को व्यक्त करने वाली दृष्टब्य अभिव्यक्ति हो या किसी व्यक्ति या उद्यम के हित को बढावा देने के उद्देश्य से कुछ लिखा गया हो ।
iv. दावेदार द्वारा किसी कानून के प्रावधान का उल्लंघन करके भारत से बाहर के किसी स्थान से लाया गया हो |
v. निर्दिष्ट अधिकारी अथवा बैंक द्वारा मांगी गयी कोई सूचना, जो लागू हो, दावेदार ने सूचना मांगने की नोटिस या पत्र की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के अंदर प्रस्तुत न की हो, या
vi. निर्दिष्ट अधिकारी के अभिमत के अनुसार ऐसे दावे के संबंध में जहाँ जानबूझकर धोखाधड़ी करने का आशय प्रतीत होता हो,

अस्वीकृत किया जायेगा और उस समय में लागू किसी अन्य नियम के तहत विचार करने के लिए पात्र नहीं होगा।

7. अपूर्ण नोट –

अपूर्ण नोट के लिए नियम 8 में दी गयी सारणियों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार पूरा / आधा मूल्य अदा किया जा सकता है, यदि,

(क) वह विषयवस्तु, जो नोट पर मुद्रित है पूरी तरह से अपठनीय न हो गयी हो, और

(ख) नोट पर पठनीय विषयवस्तु के आधार पर निर्दिष्ट अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि वह असली नोट है |

8. कटे-फटे नोट –

(1) पचास रूपये से कम मूल्यवर्ग के नोटों के संबंध में दावे का अधिनिर्णय निम्नलिखित पध्दति से किया जाएगा अर्थात,

i. यदि प्रस्तुत किये गये नोट के सबसे बड़े एक अविभाजित टुकड़े का क्षेत्र अगले पूर्ण वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित करने पर संबंधित मूल्यवर्ग के नोट के कुल क्षेत्र से 50 प्रतिशत से अधिक हो, तो उपर्युक्त मूल्यवर्गों के कटे-फटे नोटों का पूर्ण मूल्य देय होगा;
ii. यदि प्रस्तुत किये गये नोट के सबसे बड़े अविभाजित टुकड़े का क्षेत्र उस नोट के कुल क्षेत्र का 50 प्रतिशत से कम अथवा बराबर हो तो दावे को अस्वीकृत किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण – इस उप नियम हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि पचास रूपये से कम मूल्यवर्ग के कटे फटे नोट के पूर्ण मूल्य का भुगतान तभी किया जा सकता है, जब प्रस्तुत नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा निम्न सारणी 1 के कॉलम 5 में दर्शाए अनुसार हो ।

सारणी 1

मूल्यवर्ग	लंबाई (सेंटीमीटर)	चौड़ाई (सेंटीमीटर)	क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)	पूर्ण भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	9.7	6.3	61.11	31
2	10.7	6.3	67.41	34
5	11.7	6.3	73.71	37
10	13.7	6.3	86.31	44
10 (नई महात्मा गांधी शृंखला)	12.3	6.3	77.49	39
20	14.7	6.3	92.61	47
20 (नई महात्मा गांधी शृंखला)	12.9	6.3	81.27	41
* प्रत्येक मूल्यवर्ग में नोटों के क्षेत्र के आधे के बाद अगले पूर्ण अधिक वर्ग सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया गया है ।				

(2) पचास रुपये और अधिक मूल्यवर्गों के नोटों के संबंध में दावे का भुगतान निम्नलिखित पध्दति से किया जायेगा, अर्थात –

i. यदि प्रस्तुत नोट का सबसे अविभाजित टुकडा अगले पूर्ण वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित करने पर संबंधित मूल्यवर्ग के नोट के क्षेत्र से 80 प्रतिशत से अधिक हो तो उपर्युक्त मूल्यवर्गों के कटे-फटे नोटों का पूर्ण मूल्य देय होगा;

ii. यदि प्रस्तुत नोट के सबसे बड़े अविभाजित टुकडे का अविभाजित क्षेत्र अगले पूर्ण वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित करने पर संबंधित मूल्यवर्ग के क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक अथवा समान और 80 प्रतिशत से कम अथवा समान हो तो नोट का आधा मूल्य देय होगा ।

iii. यदि नोट के सबसे बड़े अविभाजित टुकड़े का क्षेत्र 40 प्रतिशत से कम हो तो कोई मूल्य देय नहीं होगा और दावे को अस्वीकृत किया जायेगा ।

iv. "यदि पचास रूपये और इससे अधिक मूल्यवर्ग के कटे फटे नोटों के दावे में प्रस्तुत नोट को उसी नोट के दो टुकड़ों से बनाया गया हो और प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्र, अलग – अलग, उस मूल्यवर्ग के नोट के कुल क्षेत्र का 40 प्रतिशत से अधिक अथवा समान हो तो नोट के दावे का पूर्ण भुगतान किया जाए ।

स्पष्टीकरण - इस उप नियम हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि नोट के सबसे बड़े टुकड़े का न्यूनतम अविभाजित क्षेत्र नीचे सारणी 2 के कॉलम (5) अथवा (6) में दर्शाए अनुसार हो तो पचास रूपये और इससे अधिक मूल्यवर्ग के कटे फटे नोटों के मूल्य का भुगतान पूर्ण अथवा आधा, जैसा भी मामला हो, किया जाए ।

सारणी 2

मूल्यवर्ग	लंबाई (सेंटीमीटर)	चौड़ाई (सेंटीमीटर)	क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)	पूर्ण भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)@	आधा भुगतान हेतु आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर में)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
50	14.7	7.3	107.31	86	43
50 (नई महात्मा गांधी शृंखला)	13.5	6.6	89.10	72	36
100	15.7	7.3	114.61	92	46
100 (नई महात्मा गांधी शृंखला)	14.2	6.6	93.72	75	38
200	14.6	6.6	96.36	78	39
500	15.0	6.6	99.00	80	40
2000	16.6	6.6	109.56	88	44

@ प्रत्येक मूल्यवर्ग के नोट के क्षेत्र के 80% से अगले पूर्ण उच्च वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित ।

** प्रत्येक मूल्यवर्ग में नोट के क्षेत्र के 40% से अगले पूर्ण उच्च वर्ग सेंटीमीटर में पूर्णांकित ।

9. बेमेल नोट के संबंध में दावे का भुगतान- बेमेल नोट के संबंध में दावे के भुगतान पर निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाये-

(क) बीस रुपये मूल्यवर्ग तक के नोटों के मामले में प्रस्तुत किये गये दो टुकडों में से बड़े टुकड़े का क्षेत्र नापा जाये और छोटे आधे टुकडे पर ध्यान न देते हुए नियम 8 के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसार अधिनिर्णय किया जाये ।

(ख) यदि प्रस्तुत किये गये दोनों टुकड़ो में से कोई भी टुकड़ा उपर्युक्त नियम 8 के उप-नियम 1 के खण्ड (i) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र को पूरा नहीं करता हो, तो दावे को अस्वीकृत किया जाये ।

(ग) पचास रुपये और उससे अधिक मूल्यवर्गों के मामले में दोनों टुकड़ों को अलग-अलग रुप में माना जाये और तदनुसार कार्रवाई की जाये ।

10. दावेदारों पर नियम बाध्यकारी होंगे –

(1) इन नियमों के अंतर्गत जो भी अदायगी की जायेगी वह केवल अनुग्रह के रुप में होगी और बैंक यदि समय-समय पर, इन नियमों के उपबन्धों को अमल में लाने के लिए निर्दिष्ट अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए ऐसे अनुपूरक और विस्तृत अनुदेश जारी कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो किसी अपूर्ण या कटे-फटे नोट के संबंध में दावा करेगा, यह माना जाएगा कि उसने वह दावा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के अंतर्गत और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किया है, जो सभी दावेदारों और उनके उत्तराधिकारियों या नामित व्यक्तियों पर बाध्यकारी होंगे।

11. नोट को रख लेना और नष्ट करना - निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष दावे के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया नोट, चाहे वह किसी मूल्यवर्ग का हो अथवा दावे के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी का निर्णय कुछ भी हो, रख लिया और नष्ट कर दिया जायेगा अथवा बैंक द्वारा उसका निम्न प्रकार से अन्यथा निपटान किया जाएगा।

(क) किसी ऐसे नोट के मामले में, जिसके संबंध में पूरी अदायगी कर दी गयी है अदायगी के पश्चात् किसी भी समय; और

(ख) किसी ऐसे नोट के मामले में जिसके सम्बन्ध में कोई अदायगी नहीं की गयी है, या जिसपर आधे मूल्य की अदायगी की गई है, दावे को अस्वीकार करने या आधे मूल्य की अदायगी जो लागू के निर्णय की तारीख से तीन महीने की अवधि समाप्त होने तक हो यदि इस अवधि के दौरान, बैंक के किसी कार्यालय या किसी नामित बैंक की शाखा को किसी सक्षम न्यायालय से, उल्लिखित नोट को नष्ट करने या उसके अन्यथा निपटान से रोकने का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

12. वैध उत्तराधिकारियों/नामितों को अदायगी –

1) यदि किसी दावेदार जिसने इन नियमों के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया हो, की मृत्यु हो जाती है तो उसके वैध उत्तराधिकारी, निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा दावे का मूल्यांकन करने के आधार पर दावेदार को देय राशि का भुगतान प्राप्त करने के योग्य होंगे।

2) वैध उत्तराधिकारी इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट अधिकारी को वैध प्रतिनिधि द्वारा शाखा या बैंक के किसी कार्यालय या बैंक द्वारा नामित किसी अन्य संस्था या ईकाई के पक्ष में निष्पादित क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्रस्तुत करने पर, दावेदार को देय भुगतान, यदि कोई हो तो, को प्राप्त करने का हकदार होगा।

दावेदार के वैध उत्तराधिकारी को पाँच सौ रुपये तक की राशि का भुगतान इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत घोषणा के आधार पर किया जा सकता है ।

3) ट्रिपल लॉक रीसेप्टॅकल (टीएलआर) कवर के माध्यम से बैंक में प्रस्तुत कटे-फटे नोट के मामले में, प्रस्तुतकर्ता को कवर पर यथानिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे जैसे कि बैंक खाता संख्या आदि के साथ अपना नाम और पता लिखना होगा । इसके अलावा व्यक्तिगत प्रस्तुतकर्ता, अपने विकल्प के अनुसार कवर पर नामिती का नाम और पता भी लिख सकता है जो उचित पहचान के अधीन क्षतिपूर्ति बॉण्ड को प्रस्तुत किये बिना दावे पर देय हेतु निर्धारित की जानेवाली राशि प्राप्त कर सकता है ।

13. मुद्रित फार्म- नियम 12 में निर्दिष्ट किए अनुसार, जहाँ बैंक के पक्ष में किसी क्षतिपूर्ति बॉण्ड का निष्पादन किया जाना हो, वहाँ बैंक इस नियमावली के अंतर्गत वैसे दावेदार को या अदायगी प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को बॉण्ड की एक मुद्रित प्रति नि:शुल्क प्रदान करेगा ।

14. मुद्रांक शुल्क- क्षतिपूर्ति बॉण्ड पर लगाये जाने वाले किसी मुद्रांक (स्टांप) का मूल्य बॉण्ड निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा देय होगा ।

15. आदाता (पानेवाला) का पता न लगने पर अपनायी जानेवाली प्रक्रिया–

(1) भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में अधिनिर्णित किये गये नोटों के मामले में, जहाँ नोट का मूल्य या मूल्य का भाग दावेदार को देय हो यदि ऐसे दावेदार का पता न लगाया जा सके या उसकी मृत्यु हो गयी हो, उसके वैध उत्तराधिकारी अथवा उसके नामिती का पता नही लगाया जा सके या निर्णय की सूचना दिए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर वह राशि प्राप्त करने के लिए कोई कदम न उठाए तो ऐसी देय राशि बैंक के बैंकिंग विभाग को अदा की जाएगी।

(2) निर्दिष्ट बैंक की शाखा अथवा अन्य इकाईयों में, अधिनिर्णित कटे-फटे नोट के मामले में, निर्णय की सूचना दिए जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर यदि प्रस्तुतकर्ता, राशि प्राप्त करने के लिए कोई कदम न उठाए तो ऐसी राशि बैंक के निर्गम कार्यालय में जमा की जाएगी।

भाग III
बैंकों की निर्दिष्ट शाखाओं के स्तर पर कटे-फटे नोटों की प्राप्ति, अधिनिर्णयन, भुगतान और निपटान की क्रियाविधि का ज्ञापन

1. शाखाएं जहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं

जनता के लाभ एवं सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के अनुसार बैंकों की सभी शाखाओं को कटे - फटे नोटों को स्वीकृत करने, बदलने

और स्वीकार्य विनिमय मूल्य अदा करने अथवा इन नियमों के अन्तर्गत अदेय कटे-फटे नोटों को अस्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया है ।

2. किन नोटों को स्वीकृत किया जाये

इस नियमावली के अंतर्गत शाखाएं 1,2,5,10,20,50,100, 200, 500 और 2000 रूपये मूल्यवर्ग के नोटों (और ऐसे अन्य मूल्यवर्ग के नोट जो भविष्य में जारी किए जायें) को विनिमय के लिए स्वीकृत करें ।

साथ ही, जो नोट बहुत ही भंगुर हो गये हैं अथवा बुरी तरह जल गये हैं, एक-दूसरे से चिपक गये हैं और इसलिए उनका और आदान-प्रदान नहीं हो सकता या जो कुछ समय बीतने पर अपनी मौलिक पहचान खो सकते हैं, ऐसे नोट शाखाओं द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएगे । ऐसे नोटों के धारकों को सूचित किया जाये कि वे उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग के प्रभारी अधिकारी, जिनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत मुद्रा तिजोरी स्थित है, को प्रस्तुत करें, जहाँ विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे नोटों की जांच की जायेगी ।

3. नोट किससे स्वीकृत किये जायें

जो भी व्यक्ति अपने कटे-फटे नोट शाखा से बदलना चाहे, शाखाएं उससे निर्बाध रूप से नोट स्वीकार करेंगी । बड़ी संख्या में जनता की सेवा करने के उद्देश्य से, यदि आवश्यक हो तो शाखा किसी एक व्यक्ति द्वारा एक ही बार में प्रस्तुत किये जाने वाले नोटों की उचित संख्या तय कर सकती है । सरकारी विभागों और बैंकों से पारस्परिक सहमति से बडी संख्या में नोट स्वीकार किये जा सकते हैं । शाखाएं इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय करेंगी कि उनके द्वारा प्रदान की जा रही नोट विनिमय की सुविधा केवल निजी मुद्रा परिवर्तकों अथवा दोषपूर्ण नोटों के व्यापारियों तक ही सीमित न रह जायें ।

4. नोट किस प्रकार स्वीकृत किये जायें

नोटों को काउंटर पर स्वीकृत किया जाये । नोटों को स्वीकृत करने के पश्चात फार्म डीएन-1 में दर्शाते हुए दो प्रतियों में प्रत्येक मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या और उनका मूल्य कागज का टोकन तैयार किया जाए । नोटों को स्वीकृत करने वाला स्टाफ सदस्य /अधिकारी टोकन की दोनों प्रतियों पर नोटों की कुल संख्या और मूल्य भी लिखेगा और उन पर अपने आद्याक्षर करेगा । टोकन की मूल प्रति प्रस्तुतकर्ता को दी जानी चाहिए । दूसरी प्रति नोटों के साथ लगाई जानी चाहिए और टोकन सहित नोट नियत अधिकारी को अधिनिर्णयन के लिये दे देना चाहिए । संबंधित टोकन को नोटों के साथ सावधानी से लगाया जाना चाहिए, जिससे दूसरे टोकनों के साथ प्रस्तुत नोटों में वे मिल न जायें । यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राप्त करते समय और निर्धारित अधिकारी को भेजते समय नोट क्षतिग्रस्त न हों । कागज के टोकनों पर क्रमसंख्या छपी होनी चाहिए । अस्वीकृत नोटों के बारे में प्रस्तुतकर्ता द्वारा उठाये जा सकने वाले विवाद से बचने के लिये उचित रहेगा कि प्रस्तुत किये गये सभी नोटों पर टोकन संख्या लिख दी जाये । प्रत्येक प्रस्तुति का विवरण एक रजिस्टर (फार्म डी एन-2) मे रखा जाना चाहिये ।

5. नियत अधिकारी - अधिनिर्णयन और भुगतान

नियत अधिकारी वह होता है जिसे शाखा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के नियम 2 (i) के अनुसार नियमावली के अंतर्गत कटे-फटे नोटों का अधिनिर्णयन करने हेतु प्राधिकृत

किया गया हो । वह प्रत्येक कटे-फटे नोट के गुण-दोष के आधार पर उसकी जांच करके और पूरी तरह से नियमों के अनुसार ही उनकी देयता का निर्णय करेगा। नियमों के अन्तर्गत जिन नोटों को वह देय पायेगा, उन पर वह भुगतान की मुहर लगाकर और अपने आद्याक्षर करके अपना " भुगतान" आदेश दर्ज करेगा । इसी प्रकार वह नोट पर लगी दिनांक युक्त "अस्वीकृत" की मुहर पर अपने आद्याक्षर करके तथा 6(3), 8(1)(ii), 8(2) (iii) और स्पष्टीकरण (घ) में हो जाए नियम के अंतर्गत नोट पर दावा अस्वीकार किया गया है उसका उल्लेख करते हुए अपनी अस्वीकृति आदेश दर्ज करेगा । भुगतान आदेश अथवा अस्वीकृति आदेश नोट के सामने के हिस्से पर लगाया जाये, न कि नोट को चिपकाने के लिए प्रयुक्त कागज पर अथवा नोट के पीछे वाले हिस्से पर । नियत अधिकारी नोटों से संलग्न कागज टोकन की दूसरी प्रति पर भी अपने आदेश दर्ज करेगा और फार्म डीएन-3 में अस्वीकृति सूचना तैयार करवायेगा । उसके पश्चात नोट उस पर लगे टोकन सहित दावेदार को भुगतान करने के लिए काउंटर पर भेजे जाने चाहिए ।

नियत अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो ठीक से न चिपकाये गये नोटों को निर्णय देने से पहले फिर से चिपकवा लें। नियत अधिकारी को चाहिए कि वह इस नियमवाली के अंतर्गत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते समय आवश्यक सावधनी बरते जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस नोट वापसी नियमावली के अंतर्गत देय कोई भी नोट अस्वीकृत न हो और जो नोट नियमों के अंतर्गत बदलने योग्य नहीं है, उसे बदला न जाये । यदि बाद में रिजर्व बैंक द्वारा कोई ऐसा नोट पाया जायेगा जो उपर्युक्त नियमावली के अंतर्गत देय नहीं हैं और उसका मूल्य अदा कर दिया गया है, तो बैंक ऐसे प्राधिकृत बैंक से हानि की राशि वसूल कर सकता है । इस संबंध में बैंक शाखा को भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे नियम बनाने, उसे जारी करने, संशोधित करने, व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार प्राप्त हैं और जो उपरोक्त नियमावली के उपबंधों के अनुसार अंतिम प्रधिकारी है, का निर्णय मान्य होगा ।

6. भुगतान

नियत अधिकारी से कागज टोकन सहित नोट प्राप्त करने के पश्चात काउंटर स्टाफ इस बात की जाँच करेगा कि सभी नोटों और कागज के टोकन पर भुगतान और अस्वीकृत करने का आदेश दर्ज है । उसके बाद वह प्रस्तुतकर्ता को उन नोटों का मूल्य जिनका विनिमय मूल्य अदा करने का आदेश दिया गया है, उससे मूल टोकन जिसके पीछे प्रस्तुतकर्ता को नाम, पता आदि लिखा होगा, प्राप्त कर अदा करेगा । इसी तरह वह, यदि कोई नोट अस्वीकृत किये गये हों तों, उनकी अस्वीकृति सूचना भी फार्म डीएन-3 में जारी करेगा । उसके बाद वह जिन नोटो का विनिमय मूल्य अदा किया है उन पर सामने की ओर दिनांकयुक्त "अदा किया" की मुहर लगायेगा । अस्वीकृत नोट किसी भी हालत में प्रस्तुतकर्ता को वापस नहीं किये जायेंगे । भुगतान पूरा करने के बाद अदा किये गये और अस्वीकृत नोट अलग-अलग रखे जायें । प्रस्तुतकर्ता द्वारा सौंपा गया मूल टोकन अस्वीकृत नोटों के साथ लगा दिया जाये । यह ध्यान रखा जाये कि जिन नोटों का आधा मूल्य अदा किया गया है, उन्हें अस्वीकृत नोटों के साथ रखा जाये, ताकि यदि प्रस्तुतकर्ता बाद में यह सवाल उठाये कि पूरे मूल्य के बजाय आधा मूल्य क्यों अदा किया गया तो उन नोटों को आसानी से निकाला जा सके । जिन शाखाओं में भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा तिजोरी नहीं है, वहां अदा किये गये और अस्वीकृत नोट शाखा की नकदी शेष राशियों के साथ अलग से रखे जायेगें । किन्तु नोटों की उचित और सुरक्षापूर्ण अभिरक्षा के लिए समग्र रूप से उत्तरदायित्व शाखा प्रबंधक का होगा । यह स्पष्ट समझा जाये कि अदा किये गये और अस्वीकृत दोनों ही प्रकार के नोट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अपने पास रखने हैं और किसी भी प्रकार से उनका निपटान इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा, दिये गये निर्देशों के अधीन होगा ।

जिन शाखाओं में मुद्रा तिजोरी है, वहां सिर्फ अदा किये गये पाँच सौ रूपयों के गुणकों में और कम से कम एक हजार रूपये मुद्रा तिजोरी में जमा किये जायेंगे । किन्तु आधा मूल्य अदा किये गये और अस्वीकृत नोट शाखा की नकदी शेष राशियों के साथ रखे जायेंगे ।

7. अधिनिर्णीत नोटों के लिए लेखा पध्दति

पूरा मूल्य अदा किये गये नोटों को जारी करने अयोग्य नोटों के समान माना जायेगा और जारी करने अयोग्य नोटों को जमा करने की पध्दति को अपनाते हुए मुद्रा तिजोरी शेषों के रूप में रखा जायेगा । इन नोटों को मुद्रा तिजोरी की पर्ची में जारी करने अयोग्य नोटों के रूप में दर्शाया जायेगा । अदा किये गये नोटों को, भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाने वाले गंदे नोटों से अलग रखा जायेगा और उन्हें अलग बिन में रखा जायेगा । इन नोटों को अलग से पैक किया जायेगा और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय को गंदे नोटों का विप्रेषण भेजते समय गंदे नोटों के साथ भेजा जायेगा । आधा मूल्य अदा किये गये नोटों और अस्वीकृत नोटों को शाखा की नकदी शेष के साथ रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में उन्हें अदा किये गये नोटों के शेषों के साथ जमा नहीं किया जायेगा ।

गैर मुद्रा तिजोरी शाखाएं उनके द्वारा अधिनिर्णय किए गए नोटों को सम्बद्ध मुद्रा तिजोरी को जमा करने हेतु भेजेगी जो इसके बदले में गंदे नोटों के विप्रेषण के साथ भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करेगी|

8. अधिनिर्णित नोटों का सत्यापन और प्रेक्षण

पूरे मूल्य के लिए अधिनिर्णीत नोटों को गंदे नोटो के विप्रेषणों के साथ अलग से भेजा जाये । भारतीय रिजर्व बैंक में ऐसे नोटों का गुणात्मक और मात्रात्मक सत्यापन किया जायेगा । ऐसे नोटों को मुद्रा विप्रेषण के रूप में माना जायेगा और तदनुसार इन्हें हिसाब में लिया जायेगा ।

आधा मूल्य अदा किये गये और अस्वीकृत नोटों को अलग से भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग के दावा अनुभाग में भेजा जाये । इन नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने के पूर्व निर्दिष्ट अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमावली के पैरा 11 (ख) में निर्धारित तीन महीनों की परिरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी हो । **डीएन-2 में प्रस्तुतकर्ता के ब्यौरों को, उसे भुगतान करने के लिए सुरक्षित रखना होगा ।** इसका हिसाब मुद्रा तिजोरी वाली शाखा से प्राप्ति के रूप में रखा जायेगा। इन नोटों की भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर जाँच की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अस्वीकृत नोटों में से कोई भी नोट कोई मूल्य अदा करने के लिए देय नहीं है और आधा मूल्य अदा किये गये नोटों मे से कोई भी नोट पूरे मूल्य के लिए देय नहीं है । चूंकि आधा मूल्य अदा किये गये और अस्वीकृत नोटों की आवश्यक परिरक्षण अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी होगी अत: भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग द्वारा ऐसा करना उचित मानते हुए उन्हें नष्ट किया जायेगा ।

9. जाली नोट

कटे-फटे नोटों के अधिनिर्णय के दौरान यदि किसी नोट के जाली होने का शक हो अथवा जाली पाया जाये तो निर्दिष्ट अधिकारी उसे जब्त कर लें और उस पर "जाली नोट जब्त किया" की मुहर लगाकर अपने आद्याक्षर करें और जाली नोटों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जाये । जाली नोटों का पता लगाने संबंधी सुलभ संदर्भ हेतु वास्तविक नोटों की प्रमुख विशेषताएँ अनुबंध में बतलायी गयी हैं ।

10. विविध

i. निर्दिष्ट अधिकारी केवल विकृत या कटे-फटे नोटों की ही जांच करेंगे और अधिनिर्णय देंगे । गंदे नोंटों को (जिसमें समस्तर अथवा ऊर्ध्वाधर मध्य या मध्य के निकट कटाईवाले दो टुकडे का नोट शामिल है) निर्बाध रूप से स्वीकृत किया जायेगा और सभी शाखाओं के स्तर पर बदला जायेगा ।

ii. जहाँ तक संभव हो, कम से कम समय में नोट बदलकर मूल्य अदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए, किन्तु हर हालत में उसी दिन उसका भुगतान कर दिया जाये । बैंकिग पध्दति को सुविधाजनक बनाने के लिए विनिमय मूल्य को इसीएस के माध्यम से खाते में जमा किया जाए या बैंकर चेक अथवा भुगतान आदेश के रूप में अदा किया जाए ।

iii. निर्दिष्ट अधिकारी पूरी सावधानी से प्रस्तुत नोटों की जांच करें । यदि कोई नोट संदिग्ध अथवा बनाया हुआ लगता हो, तो ऐसे नोटों की जांच टेबल लेंप की रोशनी में की जाये ताकि नोट के एक अविभाजित बड़े टुकडे का पता लगाया जा सके जो वर्तमान में नोटों के विनिमय का मूल मानदंड है ।

iv. निर्दिष्ट अधिकारी अपना भुगतान आदेश लाल स्याही से रिकार्ड करें और उस पर "अदा करें" की मुहर तुरंत लगाने की व्यवस्था करें । “अदा करें" की मुहर उसे अपनी ही अभिरक्षा में रखनी चाहिए, ताकि उसका गलत उपयोग न हो ।

v. दोषपूर्ण नोटों की अदायगी अथवा अन्य प्रकार के विचार व्यक्त करने अथवा सलाह देने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाये ।

vi. बदलने के लिए प्रस्तुत किये नये नोटों के निरीक्षण अथवा वापस करने अथवा कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी मांगने के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

11. निर्दिष्ट अधिकारी के लिए सहायक साधन

नियत अधिकारियों को निम्नलिखित सहायक साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए, ताकि वे दोषपूर्ण नोटों का निपटान और अच्छी तरह कर सकें -

(क) मध्यम रोशनीवाला टेबल लैंप

(ख) आवर्धक कांच

(ग) नापने की सेंटीमीटर वाली प्लेट (प्लास्टिक की)

(घ) विभिन्न डिजाइन के सभी मूल्यवर्ग के वास्तविक नोटों का सेट (संदेह होने की स्थिति में मिलान करने के लिए)

12. नोटिस बोर्ड पर सूचना

शाखा प्रबंधक जनता की जानकारी के लिए हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में निम्नलिखित बोर्ड शाखा परिसर के बाहर लगवाने की व्यवस्था करे ।

"**कटे-फटे नोट यहां लिये और बदले जाते हैं ।**"

बैंकिग हॉल के अंदर और उस काउंटर के ऊपर जहां कटे-फटे नोट स्वीकार किये जाते हैं, निम्नलिखित बोर्ड लगाया जाये-

i. भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली के अंतर्गत कटे-फटे नोट बदलने के लिए यहां स्वीकार किये जाते हैं।
ii. विनिमय मूल्य, यदि कोई हो, उसी दिन अवश्य प्राप्त कर लिये जाये ।
iii. जिन नोटों का विनिमय देय नहीं हैं, वे हमारे पास ही रहेंगे ।
iv. किसी प्रकार की कठिनाई के स्थिति में शाखा प्रबंधक से मिलें ।

भाग – V
भारतीय बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताएँ

वाटरमार्क

महात्मा गांधी श्रृंखला तथा 2016 में प्रारम्भ महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोटों के वाटरमार्क विंडो में मूल्यवर्गीय अंक को दर्शाते हुए इलेक्ट्रोटाईप चिन्ह के साथ महात्मा गांधी का वाटरमार्क है।

सुरक्षा धागा

महात्मा गांधी श्रृंखला तथा महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के 100 रुपये तथा उच्चतर मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में मशीन द्वारा पठनीय विंडोड डिमैटलाइज्ड क्लियर टेक्स्ट चुंबकीय सुरक्षा धागा है। विभिन्न कोणों से देखने पर धागे का रंग हरे से नीले रंग में बदल जाता है। 100 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के मामले में, धागे की चौड़ाई 2 मि.मी. है जबकि उच्च मूल्यवर्ग में इसकी चौड़ाई 3 मि.मी. है।

2000 रुपये के बैंक नोटों में एक विंडो सुरक्षा धागा है जिसके अग्रभाग पर 'भारत' (हिन्दी में), '2000' तथा 'RBI" उत्कीर्ण है जो बारी-बारी से दिखते हैं, लेकिन पृष्ठ भाग पर यह पूरी तरह से अंत:स्थापित है। 500, 200 तथा 100 रुपये के बैंक नोटों में ऐसे ही विशेषताओं वाला सुरक्षा धागा है जिस पर 'भारत' (हिन्दी में) तथा 'RBI' उत्कीर्ण है। इन बैंक नोटों को रौशनी के सामने रखने पर, सुरक्षा धागे को एक सतत रेखा के रूप में देखा जा सकता है। 10, 20 तथा 50 रुपये के बैंक नोटों में पूरी तरह से अंत: स्थापित विंडो सुरक्षा धागा है जिस पर 'भारत' (हिन्दी में) तथा 'RBI' उत्कीर्ण है। महात्मा गांधी श्रृंखला की शुरुआत के पूर्व जारी किए गए बैंक नोटों में समतल, पूरी तरह से अंत: स्थापित सुरक्षा धागा है।

माइक्रो लेटर

यह विशेषता नोटों के बायीं और खड़ी पट्टी के बीच [महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला] ओर महात्मा गांधी के चित्र के बीच दिखाई देती है। इसमें 'RBI', 'भारत', 'INDIA' और मूल्यवर्ग लिखे हैं। यह विशेषता मैग्निफाइंग ग्लास की मदद से बेहतर तरीके से देखी जा सकती है।

लेटेंट इमेज

महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के रु.100 तथा उच्चतर मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के अग्रभाग पर महात्मा गांधी के चित्र के बायीं ओर नीचे "हॉरिजॉन्टल" पट्टी में एक लेटेंट इमेज है जो संबन्धित मूल्यवर्ग के मूल्य अंक को दर्शाता है । यह विशेषता महात्मा गांधी श्रृंखला के रु.100 तथा उच्चतर मूल्यवर्ग (2016

तक जारी किए गए रु. 50 तथा 20 मूल्यवर्ग में भी) के नोटों में भी मौजूद है। इन शृंखला के नोटों में मौजूद यह खड़ी पट्टी में लेटेंट इमेज महात्मा गांधी के चित्र के दायीं ओर है, जिससे आँखों के स्तर पर 45 डिग्री पर पकड़ने से ही दिखाई देती है।

इंटेग्लिओ प्रिंटिंग (उभारदार मुद्रण)

100 रुपये और उच्चतर बैंक नोटों में महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक की सील, गारंटी और वचन खंड, अशोक स्तंभ प्रतीक, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर इंटेग्लिओ प्रिंट अर्थात उभारदार मुद्रण में मुद्रित हैं जिसे, छूकर महसूस किया जा सकता है।

पहचान चिन्ह

महात्मा गांधी (नई) शृंखला के 100 रुपये और उच्चतर सभी बैंक नोटों में, वाटर मार्क विंडो की दायीं ओर (पूर्ववर्ती महात्मा गांधी शृंखला में बायीं ओर) इंटेग्लिओ में एक अहम विशेषता मौजूद है। यह विशेषता विभिन्न मूल्यवर्गों के लिए अलग-अलग आकार में है (रू.100 – त्रिभुजाकार, रू.200 – (H), रू.500 – वृत्ताकार, रू.2000 – आयताकार)। इसके साथ ही, नोट के दायीं तथा बायीं तरफ अलग-अलग संख्याओं की कोणीय ब्लीड लाइनें हैं (रू.100 – चार, रू.200 – लाईनों के बीच दो वृत्त के साथ चार, रू.500 – पाँच, रू.2000 – सात) जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में सहायता करती है।

फ़्लोरोसेंस (प्रकाश परावर्तन)

बैंक नोटों के नंबर पैनल तथा खड़ी पट्टियां [महात्मा गांधी (नई) शृंखला में] फ्लोरोसेंट स्याही से मुद्रित किये गये हैं। बैंक नोटों में ऑप्टिकल फ़ाईबर भी हैं जो सीडब्ल्यूबीएन कागज पर फैले हुए हैं। अल्ट्रा वाइलेट प्रकाश में रखने पर यह भाग फ्लोरोसेंस प्रदर्शित करता है।

कलर शिफ्ट इंक (रंग बदलती स्याही)

रू.200 तथा उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के मूल्यवर्गीय अंक परिवर्तक यानी रंग बदलने वाली स्याही में मुद्रित हैं। नोट को समतल रूप से रखने पर मूल्यवर्गीय अंक का रंग हरा दिखाई देता है लेकिन नोट को तिरछा करने पर इसका रंग बदलकर नीला हो जाता है।

सी थ्रू रजिस्टर

बैंक नोटों की बायीं तरफ नोट के अग्र (खाली) तथा पिछले (भरा हुआ), दोनों भागों पर मुद्रित मूल्यवर्ग दोनों तरफ से एक लगता है। मूल्यवर्ग तब दिखाई देगा जब इसे रोशनी के सामने से देखा जाए।

विस्तृत जानकारी के लिए, जाली नोटों की पहचान तथा जब्ती विषय पर मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक (vii) का संदर्भ लिया जा सकता है ।